



श्री वेंकैया नायडू ने दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की संचालन परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 2016-17 में 15 प्रतिशत अधिक रोजगारों का सृजन

Posted On: 31 MAY 2017 11:15AM by PIB Delhi

केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) की संचालन परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर मिशन को विभिन्न स्तर पर अधिक सशक्त करने के कदमों पर विचार-विमर्श किया। बैठक में केंद्रीय शहरी विकास और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह और मध्यप्रदेश की शहरी विकास और आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने भी भाग लिया।

मिशन को सशक्त करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं

- कौशल विकास के अंतर्गत दिव्यांगों को वित्तीय प्रावधान बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दिव्यांगों को अतिरिक्त यात्रा भत्ता, नियोजन उपरांत अतिरिक्त सहयोग, व्यक्तिगत सहयोगी उपकरणों और वर्दी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगों की प्रशिक्षण और रोजगार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा
- वर्ष 2016-17 के दौरान 2,36,218 रोजगार सृजित किए गए जो कि गत वर्ष की तुलना में 155 प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 के दौरान अन्य खंडों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई
- मिशन के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) को यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा
- बेघर लोगों की अधिकता वाले स्थानों के निकट आश्रय स्थल के निर्माण के लिए महानगरों में उपयुक्त भूमि के उपलब्धता न होने के कारण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थायी आश्रय स्थल के निर्माण होने तक भवनों को किराये पर लेने और नवीकरण करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है
- आश्रय स्थलों की स्थापना में तेजी लाने के लिए रेल सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से निर्माण के लिए भूमि लेने, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रोत्साहन को सहयोग देने, डीएवाई-एनयूएलएम आश्रय स्थलों के संचालन के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक संगठनों की सहायता लेने और डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत आश्रय स्थलों को संयुक्त रूप से संचालित करने और प्रबंधन लागत प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को शहरी बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे।
- राज्य स्तर पर मिशन प्रबंधन लागत की व्यय सीमा का अनुपालन को हटाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि व्यय की निर्धारित सीमा की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी की जाएगी। इससे राज्यों को मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक श्रमशक्ति के प्रशिक्षण और स्थापन में सहायता मिलेगी।
- समुदाय आयोजनकर्ता का वेतन 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 15 हजार रूपए करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों को न्यूनतम वेतन में आगामी संशोधन के अनुरूप वृद्धि करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

बैठक के दौरान श्री वेंकैया नायडू ने गत तीन वर्षों के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत जमीनी और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए इस पर संतोष व्यक्त किया। श्री नायडू ने कहा कि स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए कौशल विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए

1,05,000 स्वयं सहायता समूह की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष वास्तविक रूप में 1,90,266 समूहों की स्थापना की गई। स्वरोजगार कार्यक्रम के 1,25,062 के लक्ष्य के अनुरूप 1,78,896 लाभकर्ताओं को व्यक्तिगत और समूह उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण प्रदान किए गए। गत तीन वर्षों के दौरान 8,37,764 शहरी गरीबों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया जबकि शहरी गरीब बेघरों के लिए 666 आश्रय स्थलों का संचालन प्रारंभ किया गया।

जीवाई/एजे-1564

(Release ID: 1491480) Visitor Counter : 8

